ग्राम पंचायत रैला, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रैला विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री प्रीतम सिंह	22.1.2011 से 22.1.2016
2.	श्रीमति खीमा दासी	23.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री ठाकुर दास	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत रैला के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	विवरण	₹(लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप रोकड़ वहियों व बैंक खातों के अन्तिम शेष में भारी अन्तर	3.90
2.	4.1	मनरेगा की रोकड़ वही को दिनांक 31.3.2016 तक पूर्ण न करना	–

3.	5	बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करना	–
4.	6	गृहकर राजस्व की वसूली शेष रहना	0.12
5.	7	अनुदान का उपयोग न करना	45.51
6.	9	क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न करना	7.83

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत रैला, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.6.2016 से 13.6.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 7/13, 3/15, 9/15 व 4/13, 11/14, 4/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत रैला, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :VD(211)/2016–91, दिनांक 6.6.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रैला से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत रैला के अवधि 4/13 से 3/2016 के स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट– "1** (क)**"** से **"1** (ड)**"** में दिया गया है:–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदान :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज ₹	योग	व्यय	अन्तिम शेष ₹
2013–14	1782341.50	3546762	95780	5424883.50	2340913	3083970.50
2014–15	3083970.50	4034089	166975	7285034.50	2889187	4395847.50
2015–16	4395847.50	6601105	135322.50	11132275.00	5335322	5796953
				Bank A/C No.	20062000781	–₹5407187.50

(ii) मनरेगा :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज ₹	योग	व्यय	अन्तिम शेष ₹
2013–14	33884.50	968308	3733	1005925.50	1278522	(–)272596.50
2014–15	(–)272596.50	476274	1332	205009.50	492590	(–)287580.50
2015–16	(–)287580.50	–	–	(–)287580.50	1500641	(–)1788221.50
				Bank A/C No.	20062000781	–₹Nil

Note: -

(i) Labour Payment on line from 2014-15

(i) Material Payment online from 2015-16

4.1 मनरेगा की रोकड़ वही को पूर्ण न करना :–

ग्राम पंचायत रैला की मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम) की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि इस योजना में स्वीकृत राशियों व व्यय भुगतान खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा Online होने के कारण रोकड़ वही को दिनांक 31.3.2016 पूर्ण नहीं किया गया है, जिस कारण अंकेक्षण अवधि में मनरेगा में कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशियों का व्यय भुगतान किया गया व कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है का पूरा विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदान व

व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण व प्रविष्टियां रोकड़ वही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप ₹389765.50 का भारी अन्तरः—

ग्राम पंचायत रैला की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों (स्वः स्त्रोत व अनुदान) का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, काराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ वहियों तथा बैंक के अन्तशेषों में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार ₹389766 का अन्तर है, जिसकी जांच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) रोकड़ वहियों के अनुसार अन्तिम शेष (स्वः स्त्रोत व अनुदान) ₹5796953

(ii) विभिन्न बैंकों में जमा राशियां ₹5407187.50

अन्तर =₹389765.50

विभिन्न बैंकों में जमा राशियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

Bank Balances on Dated 31.3.2016 Gp Raila

Name of Head	A/c No.	Amount
LADA	50055021333	2586975
IWMP-1	50057992177	3298
IAY	50051955313	258214
VKVNY	50055523898	136630
13TH FC	50051955277	219359
E E V	50055523945	77999
SDP	50051955244	259831
H/RAIN	50055523967	94
MP/LAD	50051955211	2036
IWMP-2	50058115219	841

MG NREGA	20062000781	Nil
G. CASH BOOK	20062000601	1716216.50
SBM	50051955302	145694
	Total	**₹5407187.50**

4.3 दिनांक 31.3.2016 को अनुदान की शेष राशियों व बैंक में जमा शेष राशियों में ₹856136.50 के अन्तर बारे :–

ग्राम पंचायत रैला के सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को प्राप्त अनुदानों में से ₹4551051 का उपयोग नहीं किया गया था **परिशिष्ट– "2"** जबकि दिनांक 31.3.2016 को बैंकों में जमा शेष ₹5407187.50 था। अतः बैंकों में जमा शेष का पूर्ण विवरण तैयार करके आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, काराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. पंचायत गृहकर राजस्व ₹11590 की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

ग्राम पंचायत रैला के सचिव द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार गृहकर राजस्व की ₹11590 वसूली हेतु शेष थी। (परिशिष्ट–3 के अनुसार)

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	20550	37750	58300	30190	28110
2014–15	28110	38950	67060	8080	58980
2015–16	58980	39550	98530	86940	11590

अतः उपरोक्त बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

6.1 गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को पूर्ण न करना :–

ग्राम पंचायत रैला के गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः मांग व प्राप्ति रजिस्टर को दिनांक 31.3.2016 तक पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 मोबाईल टावर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

ग्राम पंचायत रैला के द्वारा अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण अवधि में मोबाईल टावरों से ₹37200 की आय प्राप्त हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्राप्ति ₹
2013–14	10100
2014–15	16000
2015–16	11100

अतः पंचायत स्तर पर मोबाईल टावर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि मोबाईल टावरों से कुल मांग व बकाया राशि की गणना करके उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

7. अनुदान ₹45.51 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹4551051 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का

रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों / रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Name of Register
1.	Cheques issue Register
2.	T.A. Check Register-From 20
3.	Bill Register-From 13
4.	Telephone bill Payment Register
5.	Mobile Tower demand and collection Register
6.	Stock Register of Consumable articles-form 26
7.	Electricity Bill payment Register

9. ₹7.83 लाख की क्रय की मदों को स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न करने बारे :–

अंकेक्षण अवधि में पंचायत के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ₹782940 क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियां निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई थी, जबकि नियमानुसार प्रत्येक क्रय वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित था। पंचायत व्यय जांच हेतु चयनित मासों में क्रय की गई निम्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई हैं:–

Sr. No.	Name of Grant.	Month /Year	Bill No.& Date	Descreption of Firm	Item	Amount ₹
1.	MGNREGA	4/13	9898, 26.4.13	M/s H.P. Agro Industries Corporation Ltd.	Inter Link Chain	41040
		4/13	1929632, 26.4.13	H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd.	Cement	20826
		5/13	504, 2.5.13	मैसर्ज झाबे राम एण्ड सन्स, सैंज	Steel	4176

		5/13	744, 24.5.13	-do-	Steel	4740
		11/14	335, 22.4.14	M/s Durga Bhawani Stone Crusher, Burah	Sand	3360
		11/14	355, 30.5.14	-do-	-do-	3024
		11/14	2865, 10.8.14	M/s Shyam Lal Sharma & Son's Nagwain	Steel	6975
2.	S.D.P.	4/13	079, 4.4.13	M/s Sunny Builder's Sainj	Sand	4000
		11/14	06, 12.8.14	M/s Mohan Singh Raila	-do-	17308
3.	LADA	4/13	1929557, 15.4.13	H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd.	Cement	46280
		4/13	1929583, 25.4.13	-do-	-do-	16198
		4/13	1929620, 26.4.13	-do-	-do-	34710
		4/13	29, 10.4.13	M/s Ashapuri Stone Crusher	Sand	11812
		4/13	6407, 19.4.13	M/s Gajju mal Bhag mal, Bhunter	Water Pipe Fittings	156356
		11/14	618, 11.1.14	M/s Mohan Singh Raila	Sand etc.	16258
		11/14	20,	-do-	-do-	25421

			13.1.14			
		11/14	353, 28.5.14	M/s Durga Bhawani Stone Crusher, Burah.	Sand etc.	26460
		11/14	359, 4.6.14	-do-	-do-	11760
		4/15	15895, 11.4.15	H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd.	Cement	46800
		4/15	15896, 11.4.15	-do-	-do-	93600
		4/15	2894, 13.4.15	M/s Yub Raj Traders Bhunter	Steel	64721
		4/15	-do-	M/s Karam Singh	Sand etc.	18750
		4/15	33,7.3.15	M/s Mohan Singh, Raila	-do-	21425
4.	IWMP-II	11/14	2867, 10.8.14	M/s Shyam Lal Sharma & Son's Nagwain	Steel	4650
5.	Own Source	4/15	127, 6.4.15	M/s Pooja Industries, Sainj	Trunk	3000
6.	VKVNY	4/15	-	M/s Mohar Singh Contractor	Sand etc.	79290
					कुल योग	**₹782940**

अतः क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियां निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में न करने के कारणों को स्पष्ट किए जाए तथा प्रत्येक क्रय सामान की प्रविष्टियां खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. निष्कर्ष :– पंचायत के लेखों, रोकड़ वहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(iii),1 / 2016, खण्ड–1–5540–5543 दिनांकः 21.10.2016 , शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–17109 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत रैला, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.